DAILY NEWS BULLETIN

LEADING HEALTH, POPULATION AND FAMILY WELFARE STORIES OF THE DAY

Tuesday 20260106

New drug regime to track bulk products in offing

H-T

The move comes as India's reputation as the 'pharmacy of the world' takes a hit

Priyanka Sharma
priyanka.sharma@livemint.com

NEW DELHI: Facing mounting scrutiny over drug safety lapses, India is working to overhaul its pharmaceutical licensing framework by introducing a separate wholesale licensing regime for bulk drugs, active pharmaceutical ingredients (APIs) and key starting materials (KSMs), according to three government officials and documents reviewed by *Mint*.

A draft notification is in the works for a new licensing regime, the people cited above said on the condition of anonymity. This will dismantle the current common licensing system for raw materials and finished medicines, give the Drugs Controller General of India (DCGI) a long-missing registry of nearly 1.2 million bulk drug traders, and significantly strengthen traceability and accountability in the country's pharmaceutical market.

"The lack of transparency in the raw material supply chain was highlighted by recent reports of cough syrups contaminated with diethylene glycol, raising serious safety concerns. It is the need of the hour to monitor the supply chain and the quality of high-risk solvents, including propylene glycol used in formulations," said one of the three officials said on the condition of anonymity.

The government plans a separate wholesale licensing regime for bulk drugs, APIs and key starting materials. MINT

The proposed change aims to build a comprehensive database of bulk drug traders, improve traceability of imported raw materials, over 70% of which come from China, and allow regulators to quickly identify and hold accountable specific dealers involved in the supply of substandard inputs in India's $50-billion pharmaceutical market. The market for APIs, bulk drugs and advanced intermediates, was valued at approximately $3.5 billion in FY25.

The government move comes in the backdrop of India's reputation as the 'Pharmacy of the World' taking a hit due to deaths of children in Uzbekistan, Gambia, Cameroon and India linked to cough syrups manufactured by Indian firms.

While the total value for India's total pharmaceutical-related imports—including finished products—for FY24 was approximately $8.2 billion, bulk drugs remain the dominant share of this inflow data from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics and commerce ministry shows.

India's API market is projected to reach $38.13 billion by 2034, growing at a CAGR of 8.50% from 2025 to 2034, according to reports by research firms like Market Research Future.

The government intends to monitor the movement of raw ingredients with precision through a new and comprehensive database.

"Similar licensing parameters cannot be applied to bulk drug dealers and formulation sellers. Bulk drug sellers manage chemical-based processes for manufacturers, whereas formulation sellers deal with retailers and the public," said a second government official cited above.

According to documents reviewed by *Mint*, there is a proposal to introduce a separate form to apply for bulk drug wholesale licenses. The document stated that currently, APIs and excipients covered under the definition of drugs are sold or distributed to the manufacturer under a wholesale licence, which is common for formulations as well as bulk drugs.

योजना

निर्माण में केंद्र सरकार 160 करोड़ और दिल्ली सरकार खर्च करेगी 60 करोड़ रुपये, गंभीर रूप से घायल मरीजों के लिए संजीवनी होगा साबित, बेहतर इलाज से बचेगी जान

जीटीबी अस्पताल में तैयार होगा अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर

सोनम प्रतिहार

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन स्थित गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल में जल्द ही आधुनिक ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इसे मंजूरी भी दे दी है। ट्रॉमा सेंटर के बनने से सड़क हादसे, गंभीर चोट, हिंसक घटनाओं और अन्य आपातकालीन मामलों में मरीजों को तुरंत और बेहतर इलाज मिल सकेगा। ट्रॉमा सेंटर का निर्माण के लिए केंद्र सरकार 160 जबकि दिल्ली सरकार 60 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

जीटीबी अस्पताल। [illegible]

ट्रॉमा सेंटर की प्रमुख सुविधाएं

- 24 घंटे इमरजेंसी ट्रॉमा केयर, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और वेंटिलेटर सुविधा, सीटी स्कैन, एमआरआई और डिजिटल एक्स-रे, प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ, दुर्घटना और गंभीर चोट के मरीजों का त्वरित इलाज इस ट्रॉमा सेंटर की प्रमुखता होगी।

यह जानकारी गुरु तेग बहादुर अस्पताल के एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. प्रवीण कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि यह ट्रॉमा सेंटर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र की सबसे बड़ी आपातकालीन चिकित्सा सुविधा के [illegible]

[illegible]

अत्याधुनिक सुविधाओं से होगा लैस : [illegible]

पूर्वी दिल्ली और आसपास के इलाकों को राहत : [illegible]

मिर्गी के मरीजों को एम्स में निशुल्क मिलेगी थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग जांच की सुविधा

नई दिल्ली। एम्स में उपचार के लिए आने वाले मिर्गी के मरीजों को लेकर राहत भरी खबर है। एम्स मरीजों को थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग जांच की निशुल्क सुविधा की शुरुआत करने जा रहा है। इस सुविधा के शुरू होने से मरीजों को जांच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और कोई शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा।

एम्स प्रशासन ने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (एनसीआई) सहित सभी विभागों और केंद्रों को निर्देश जारी किए हैं कि वे

जांच के लिए जाना पड़ता था बाहर, खर्च होते थे 1800 रुपये से अधिक

मरीजों के नमूनों को जांच के लिए नामित प्रयोगशाला में भेजें। थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग जांच के तहत फेनोबार्बिटल, कार्बामाजेपाइन, वैल्प्रोइक एसिड और फिनाइटोइन दवाओं को लेकर मरीज जांच करवा सकेंगे। जानकारी के अनुसार, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग जांच ब्लड में दवाओं के स्तर को मापने के लिए की जाती है। अस्पताल में भर्ती और ओपीडी में उपचार के लिए आने वाले मरीज जांच सुविधा का लाभ ले सकेंगे। जांच की यह सुविधा एम्स दिल्ली के ओपीडी मरीजों को कलेक्शन सेंटर रूम नंबर तीन में सुबह साढ़े आठ बजे से लेकर दोपहर एक बजे तक और झज्जर स्थित एनसीआई/एम्स में भी मिलेगी। बतादें कि बाहर मरीजों को अलग-अलग दवाओं की थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग जांच के लिए 390 रुपये से लेकर 1880 रुपये खर्च करने पड़ते थे। ब्यूरो

फैसला केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कैंसर की जांच संबंधी उपकरणों को हाई रिस्क श्रेणी में रखा

कैंसर की पहचान में एआई उपकरणों के लिए लाइसेंस जरूरी

परीक्षित निर्भय

नई दिल्ली। कैंसर इलाज में तेजी से बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इस्तेमाल के बीच केंद्र सरकार ने मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सख्त फैसला लिया है। एआई आधारित कैंसर पहचान और निदान करने वाले सॉफ्टवेयर को सरकार ने हाई रिस्क श्रेणी में रखने की घोषणा की है। साथ ही स्पष्ट किया है कि ऐसे किसी भी सॉफ्टवेयर का उपयोग नियामकीय मंजूरी और लाइसेंस के बिना नहीं किया जा सकेगा।

हाई रिस्क श्रेणी का मतलब है कि कोई चिकित्सा उपकरण या एआई सॉफ्टवेयर जो मरीज की जान, इलाज के फैसलों या बीमारी की दिशा पर सीधा असर डाल सकता है। इसलिए, उस पर सबसे सख्त निगरानी और नियम लागू होंगे। सोमवार को नई दिल्ली स्थित केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने कैंसर की निगरानी व इलाज से जुड़े उपकरणों की नई सूची जारी की है, जिसके तहत कैंसर से जुड़े एआई आधारित सॉफ्टवेयर को क्लास-सी (उच्च जोखिम) श्रेणी में शामिल किया है। अब ये सॉफ्टवेयर सामान्य डिजिटल टूल नहीं, बल्कि चिकित्सा उपकरण की तरह माने जाएंगे और उन पर वही सख्त नियम लागू होंगे जो अन्य उच्च जोखिम वाले चिकित्सा उपकरणों पर होते हैं।

इस्तेमाल के बाद भी करनी होगी निगरानी

इस निगरानी के तहत अब ऐसे एआई सॉफ्टवेयर को बाजार में लाने या अस्पतालों में इस्तेमाल करने से पहले सीडीएससीओ से लाइसेंस लेना, क्लिनिकल वैलिडेशन और परफॉर्मेंस डेटा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, इस्तेमाल के बाद भी इसकी नियमित निगरानी करनी होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जो एआई सॉफ्टवेयर एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई, पैथोलॉजी स्लाइड्स या अन्य कैंसर की पहचान करते हैं उन्हें अब क्लिनिकल डेटा, परफॉर्मेंस वैलिडेशन और नियामकीय अनुमति से गुजरना होगा।

सुरक्षित तकनीक के लिए लिया फैसला : चिकित्सा तकनीक क्षेत्र से जुड़े कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे स्टार्ट-अप पर नियामकीय दबाव बढ़ेगा, लेकिन सरकार ने अपनी सूची में साफ तौर पर कहा है कि यह फैसला तकनीक रोकने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षित तकनीक सुनिश्चित करने के लिए है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि एआई केवल डॉक्टर की सहायता करेगा, अंतिम चिकित्सकीय निर्णय डॉक्टर का ही रहेगा। सीडीएससीओ ने कहा है कि नई रिस्क क्लासिफिकेशन के जरिए सरकार ने यह संदेश दिया है कि डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में तकनीक के साथ-साथ सुरक्षा और जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है।

मरीजों के लिए क्या बदलेगा?

- इससे कैंसर के इलाज में गलत निदान और गलत इलाज का खतरा कम होगा।
- अस्पतालों में वही मशीनें और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो सकेंगे, जिन्हें सीडीएससीओ से लाइसेंस और मंजूरी मिली होगी।
- अगर किसी उपकरण से मरीज को नुकसान पहुंचता है तो उसकी रिपोर्ट अनिवार्य होगी और जरूरत पड़ने पर उस मशीन या सॉफ्टवेयर को बाजार से हटाया जा सकेगा।
- एआई आधारित टूल्स सिर्फ डॉक्टर की मदद करेंगे। इलाज से जुड़ा अंतिम फैसला हमेशा डॉक्टर ही लेंगे।
- सरकार का कहना है कि सख्त नियमों का मकसद इलाज महंगा करना नहीं, बल्कि मरीजों को सुरक्षित और भरोसेमंद तकनीक उपलब्ध कराना है।

अपनी मर्जी से ले रहे हैं सप्लीमेंट्स?

अक्सर लोग इम्युनिटी बढ़ाने के लिए व्यायाम और पौष्टिक भोजन के अलावा विटामिन सप्लीमेंट्स भी ले लेते हैं। कई बार ज्यादा मात्रा में विटामिन सप्लीमेंट्स लेना बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है।

आजकल हेल्थ और फिटनेस के नाम पर सप्लीमेंट्स लेना एक बड़ा ट्रेंड बन चुका है। सोशल मीडिया, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स और ऑनलाइन विज्ञापनों को देखकर लोग बिना डॉक्टर की सलाह के तरह-तरह के सप्लीमेंट्स खरीदकर सेवन करने लगते हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि सप्लीमेंट्स सिर्फ फायदे ही पहुंचाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इनकी जरूरत से ज्यादा खुराक यानी ओवरडोज गंभीर रूप से नुकसानदायक हो सकती है। कुछ मामलों में तो यह स्थिति जीवन के लिए भी घातक साबित हो सकती है।

दो तरह के विटामिन : विटामिन डी को लोग अक्सर पूरी तरह सुरक्षित मानते हैं, लेकिन यह भी वसा में घुलनशील विटामिन है। इसका मतलब है कि यह शरीर में जमा हो सकता है और ज्यादा मात्रा में लेने पर आसानी से बाहर नहीं निकलता। विटामिन डी की अधिकता से मांसपेशियों में दर्द, मूड स्विंग्स, किडनी स्टोन और पेट में तेज दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। गंभीर मामलों में दिल की आर्टरीज में कैल्सिफिकेशन यानी कैल्शियम का जमाव हो सकता है, जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण बन सकता है। दूसरी ओर, विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं। ये शरीर में स्टोर हो जाते हैं। अगर इन्हें लंबे समय तक जरूरत से ज्यादा लिया जाए, तो ये शरीर में जमा होकर गंभीर दुष्प्रभाव पैदा कर सकते हैं।

कितना सुरक्षित है सप्लीमेंट : विटामिन डी को लोग अक्सर सेफ सप्लीमेंट मानते हैं। पानी में घुलनशील विटामिनों के विपरीत, विटामिन डी वसा में घुलनशील होता है। इसका मतलब यह है कि यह शरीर में जमा हो सकता है और अधिक मात्रा में लेने पर यह शरीर से बाहर नहीं निकलता है। इससे मांसपेशियों में दर्द, मूड स्विंग्स, किडनी स्टोन, पेट में तेज दर्द हो सकता है। गंभीर मामलों में दिल की आर्टरीज में कैल्सिफिकेशन यानी कैल्शियम का जमाव हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण बन सकता है।

हार्ट अटैक का खतरा : कैल्शियम हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी है, लेकिन प्रतिदिन 2,500 मिलीग्राम से ज्यादा कैल्शियम का सेवन नुकसानदायक हो सकता है। जरूरत से ज्यादा कैल्शियम आर्टरीज में प्लाक जमा कर उन्हें सख्त बना देता है। इससे रक्त संचार प्रभावित होता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है।

सही मात्रा में सब्जी और दाल

सेहत को लेकर जागरूकता काफी बढ़ गई है। इसी चक्कर में लोग इंटरनेट पर देखे वीडियो या किसी की सलाह पर सप्लीमेंट्स रोजाना खाना शुरू कर देते हैं। ऐसा करते हुए उनके मन में यही विचार होता है कि विटामिन्स या हर्बल चीजें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। यदि आप बिना डॉक्टरी सलाह या जांच के सप्लीमेंट्स का सेवन शुरू कर देते हैं और शरीर में इनकी अधिकता हो जाती है तो इससे नुकसान हो सकते हैं। कोई भी सप्लीमेंट्स लेने से पहले चिकित्सक की सलाह जरूर लेनी चाहिए। इसके अलावा कभी भी एक ही समय पर दो सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहिए। आपको बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी नहीं लेना चाहिए। ऐसे आहार जिनमें सब्जी एवं दाल की मात्रा अधिक हो का सेवन करें, जो शरीर के लिए जरूरी सभी पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकें।

डॉ. जुगल किशोर
निदेशक-प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली

पूरा पोषण नहीं : कई लोग यह सोच लेते हैं कि मल्टीविटामिन की गोलियां उनकी सारी पोषण संबंधी जरूरतें पूरी कर देंगी। जबकि हकीकत यह है कि शरीर केवल विटामिनों से नहीं चलता। शरीर को रोजाना मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, कार्ब, एंटीऑक्सिडेंट, फाइबर और पर्याप्त पानी की भी जरूरत होती है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ मल्टीविटामिन पर निर्भर हो जाए और संतुलित आहार को नजरअंदाज करे, तो इससे शरीर में अन्य जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। इसका असर दिल, किडनी और लिवर पर पड़ सकता है।

मैग्नीशियम और आयरन का जोखिम : मैग्नीशियम मांसपेशियों और नर्व सिस्टम के सही कामकाज में मदद करता है, लेकिन इसकी ओवरडोज खासकर उन लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है, जिनकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। किडनी के कमजोर होने पर मैग्नीशियम शरीर में जमा होने लगता है, जिससे मतली, ब्लड प्रेशर का अचानक गिरना और गंभीर किडनी समस्याएं हो सकती हैं।

इसी तरह आयरन की कमी से एनीमिया होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा आयरन लेने से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अधिक आयरन शरीर में फ्री रेडिकल्स बनाकर दिल की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकता है।

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य : स्वस्थ रहने के लिए संतुलित लें और नियमित व्यायाम करें। पर्याप्त नींद लें तथा तनाव को भी कम करें। इसके लिए आप ध्यान या गहरी सांसें लें। खूब पानी पीएं और सकारात्मक सोच रखें।

टिप्स

सर्दियों में पीएं तांबे के पात्र में रखा पानी

कुछ लोग सुबह सबसे पहले पानी का सेवन करते हैं। यह केवल पानी पीने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि शरीर को प्रकृति के अनुरूप संतुलित करने की एक सरल यौगिक विधि भी है। सही पात्र और सही तापमान का पानी इसके लाभों को कई गुना बढ़ा देता है। सर्दियों में उषा पान के लिए तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी उपयुक्त होता है। उषा पान करने से कई लाभ मिलते हैं। इससे पाचन तंत्र सुदृढ़ रहता है। कब्ज, अत्यधिक अम्लता (एसिडिटी) और अपच में राहत मिलती है। पेट से संबंधित लगभग सभी समस्याओं में लाभ मिलता है। सर्दी-जुकाम या खांसी की स्थिति में गुनगुने पानी का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ सावधानियां जरूर बरतें। रात में तांबे के बर्तन में पानी भरकर छोड़ दें और सुबह उठकर वही पानी पीएं। यदि आप इसका अधिक लाभ लेना चाहते हैं, तो तांबे के बर्तन को लकड़ी के पाटे पर रखें, जिससे पृथ्वी और बर्तन के बीच कुचालक का कार्य हो। ऊपर से जाली लगाकर खुले स्थान में रखें, ताकि चंद्रमा की किरणें उस पर पड़ सकें। तांबा स्वाभाविक रूप से जल को स्वच्छ, शुद्ध और ऊर्जावान बनाने की क्षमता रखता है। यदि तांबे का बर्तन उपलब्ध न हो, तो कांच के बर्तन का उपयोग किया जा सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि उषा पान के लिए गुनगुना पानी ही लेना चाहिए, लेकिन सामान्य तापमान का पानी ही सर्वोत्तम है। गुनगुने पानी के अधिक उपयोग की आदत शरीर को उस पर निर्भर बना देती है।

ताकाराम

डेली हेल्थ कैप्सूल

जायफल और दूध के हैं ढेर सारे फायदे

दूध में जायफल को मिलाकर सेवन करने से कई तरह की शारीरिक समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है।

जायफल व्यंजनों में स्वाद और खुशबू के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद है। अगर दूध में जायफल मिलाकर पीया जाए, तो इसकी पौष्टिकता और भी बढ़ जाती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स इम्युनिटी को बढ़ाते हैं और सूजन कम करते हैं। जायफल में एंटीऑक्सिडेंट और एंटीइन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो

पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इससे पेट में गैस, एसिडिटी और कब्ज को दूर करने में मदद मिलती है। जायफल में मौजूद मैग्नीशियम और कई गुण शरीर और मन को शांत करने में मदद करते हैं, जिससे गहरी और आरामदायक नींद आती है। जायफल में एंटी-एजिंग गुण होते हैं, जिससे झुर्रियां कम होती है और त्वचा पर चमक भी आती है। जायफल में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण शरीर में संक्रमण से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इससे सर्दी-खांसी को ठीक करने में मदद मिलती है। जायफल में कैल्शियम और अन्य मिनरल होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायक होता है, जिससे शरीर में इन्सुलिन के स्तर को स्थिर बनाने में मदद मिलती है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

जायफल वाले दूध का अधिक सेवन करने से चक्कर, मतली या भ्रम जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। गर्भवती महिलाएं या किसी भी दवा का सेवन कर रहे लोग पहले चिकित्सक से सलाह लें।

-डॉ. आर.पी. पाराशर
वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक

हेल्थ बीमा क्लेम मिलने में आई तेज़ी, पर औसत रकम में गिरावट: रिपोर्ट

NBT रिपोर्ट : साल 2024-25 (FY25) में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने रेकॉर्ड संख्या में क्लेम निपटाए हैं। क्लेम मिलने की रफ्तार बढ़ी है और क्लेम खारिज (रिजेक्ट) होने के मामलों में कमी आई है। हालांकि, इंश्योरेंस का दायरा बढ़ने और कैशलेस इलाज के ज्यादा इस्तेमाल के बीच, हर क्लेम पर मिलने वाली औसत राशि में थोड़ी गिरावट देखी गई है। ET के मुताबिक, बीमा नियामक IRDAI की सालाना रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आई है।

क्या कहते हैं आंकड़े? : कंपनियों ने साल 2024-25 के दौरान दर्ज हुए कुल क्लेम में से करीब 87% (3.26 करोड़ क्लेम) का निपटारा किया। पिछले साल (2023-24) यह आंकड़ा 83% था। वहीं, क्लेम खारिज होने की दर 11% से घटकर 8% रह गई है।

AI Image

मार्च के अंत तक पेंडिंग क्लेम भी 6% से कम होकर करीब 5% पर आ गए हैं।

औसत में कमी? : अगर पैसों की बात करें, तो कंपनियों ने कुल मिलाकर 94,248 करोड़ रुपये के क्लेम बांटे, जो पिछले साल के 83,493 करोड़ रुपये से ज्यादा है। प्रति क्लेम मिलने वाली औसत रकम 31,086 रुपये से घटकर 28,910 रुपये रह गई। क्लेम के भुगतान में कैशलेस सुविधा का दबदबा बना हुआ है। साल 2024-25 में कुल क्लेम राशि का करीब 66.35% हिस्सा कैशलेस के जरिए दिया गया। यह पिछले साल (66.17%) के लगभग बराबर ही है।

IRDAI की रिपोर्ट

- **कुल क्लेम सेटल :** 3.26 करोड़ रुपये (FY25)
- **कुल भुगतान:** 94,248 करोड़ रुपये (FY24 में 83,493 करोड़ रुपये था)
- **औसत क्लेम राशि:** 28,910 रुपये (पिछले साल 31,086 रुपये)
- **कैशलेस क्लेम हिस्सा:** 66.35%
- **रिइम्बर्समेंट हिस्सा:** 29.34%
- **TPA से सेटलमेंट:** 69%